तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22/04/2025	

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकुलाय उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादिया ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज करते हुए वादपत्र में अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया तथा वकील वादिया की बहस के प्रत्युत्तर में वकील प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र बाबत एतराज विभाजन प्रस्ताव में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए प्रत्येक खातेदार को अपने हिस्से की भूमि में आने जाने के लिए रास्ता की मांग करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाने के लिए निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव तथा प्रार्थना पत्र बाबत एतराज विभाजन प्रस्ताव एवं जवाब एतराज विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादपत्र में बँटवारा का अनुतोष चाहा गया हैं जिस कारण तहसीलदार नीमकाथाना ने पक्षकारान के हक–हिस्से अनुसार खाता विभाजन किया गया हैं। वादग्रस्त आराजी के चारों ओर अन्य खातेदारों की खातेदारी भूमि हैं जिस कारण वादग्रस्त आ[illegible] आने जाने के लिए उभय पक्षकारान [illegible] अपने हक–हिस्से की भूमि में आने जाने के लिए [illegible] परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः [illegible] पक्षकारान को अपने हक–हिस्से की भूमि में आने जाने के लिए सक्षम न्यायालय में रास्ते के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ते का अनुतोष प्राप्त करने की

Signature Not Veri
Digitally signed by Raj
Yadav
Date: 2025.05.09 13:38
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
हिदायत देते हुए वाद वादिया न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.09 13:38:30 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नीमकाथाना (सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. शांति देवी पत्नी मदनलाल जाति खटीक निवासी बापू बस्ती जुगलपुरा पो. कांवट तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र गुरूदयाल जाति जाट वगैरह

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 162 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री सुशील अग्रवाल एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री नवीन यादव, श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, श्री राजेन्द्र सिंह तंवर एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादी मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज.....................मुबलिग...बाबत..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 22 माह 04 सन् 2025** को जारी की गई।

दस्तखत.............
ओहदा.............

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.09 13:38:30 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।